वन अधिकार अधिनियम 2006 से किसको होगा लाभ?

किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों पर एक अध्ययन के निष्कर्ष

हिमधरा पर्यावरण समूह
एवं
जिला वन अधिकार समिति किन्नौर के द्वारा एक अध्ययन
www.himdhara.org

वन अधिकार अधिनियम की वर्तमान स्थिति

हिमाचल प्रदेश		किन्नौर
17503	गठित वन अधिकार कमेटी	136
8	सामुदायिक वन अधिकार में जारी कुल पट्टे	1
129	व्यक्तिगत वन अधिकार में जारी कुल पट्टे	0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लेकर प्रशासन द्वारा व्यक्त की गई एक प्रमुख 'चिंता' यही रही है कि इस कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत दावों से फायदा केवल बड़े कब्जाधारियों को होगा और कमजोर वर्गों को कोइ लाभ नहीं होगा| इस 'चिंता' का सत्यापन करने के लिए यह अध्ययन किया गया था।

अध्ययन और निष्कर्ष

अध्ययन ने किन्नौर जिले में **3** उपखण्ड स्तरीय कमेटियों (पीओ, भाभा और पूह) में **22** वन अधिकार कमेटी के **1351** व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का विश्लेषण किया

---

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत कितनी भूमि का दावा किया जा रहा है?

1351 व्यक्तिगत वन अधिकार दावेदारों द्वारा कुल **4236** बीघा भूमि के लिए दावा किया गया है

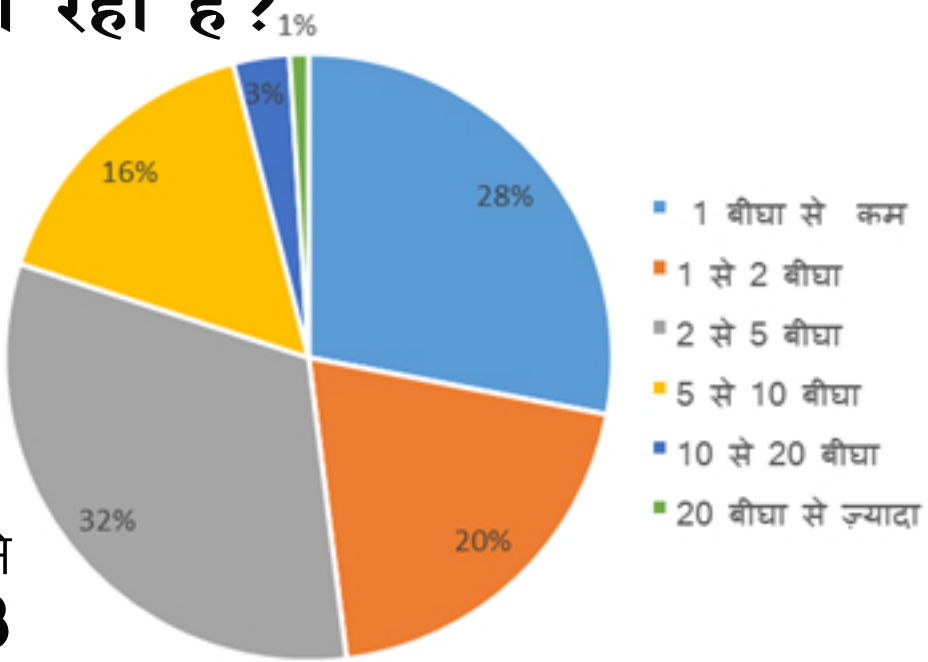

व्यक्तिगत दावे वाली भूमि का औसत आकार **3.13** बीघा है

96.5% दावें 10 बीघा भूमि के तहत हैं।

केवल **0.44%** दावेदारों ने **20 से अधिक बीघा** जमीन के लिए दावा किया है।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप **कोई बड़े पैमाने पर जमीन हथियाई नहीं जाएगी** जैसा कि अक्सर प्रशासन और सरकारी प्रतिनिधियों प्रतिनिधि द्वारा पेश किया जाता है

2. क्या दावेदारों में से अधिकांश बड़े किसान हैं?

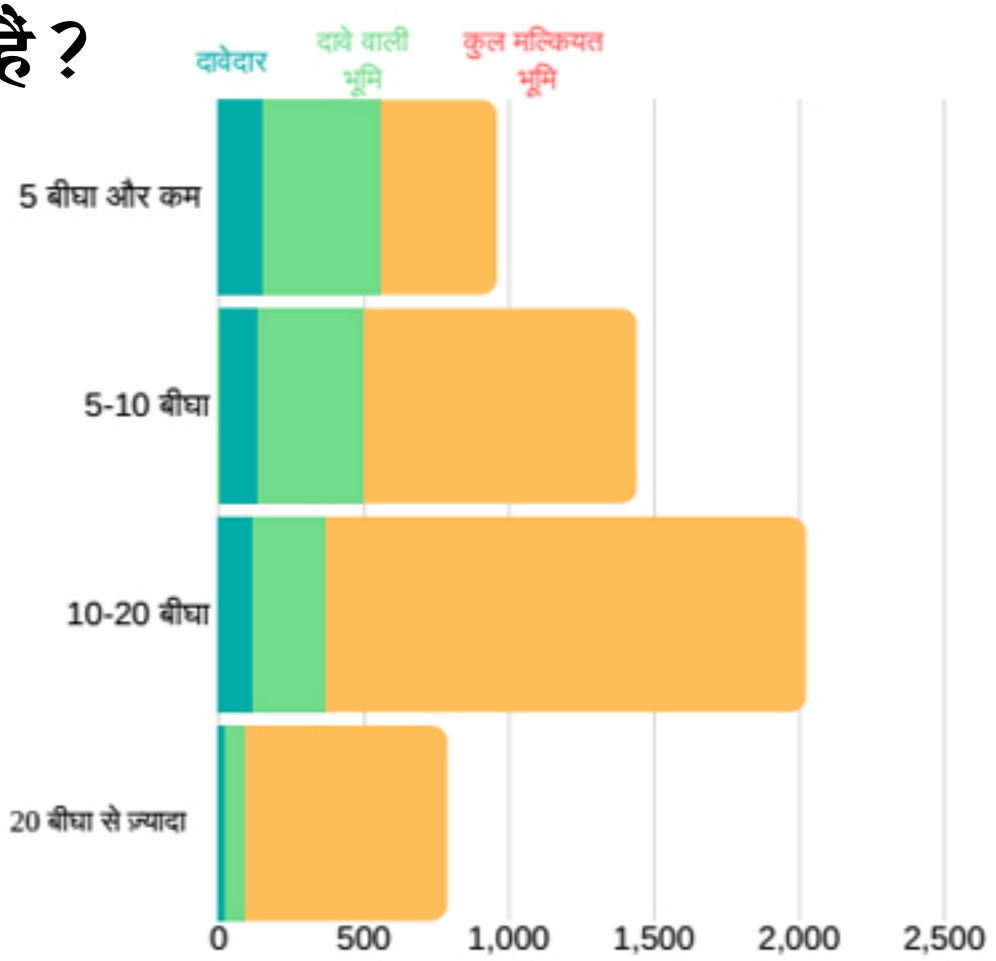

417 दावेदारों जिनकी मल्कियत भूमि का हमने अध्ययन किया, **37%** दावेदार **0 से 5 बीघा** मल्कियत जमीन वाले और **34%** दावेदार **5 से 10 बीघा** मल्कियत भूमि वाले परिवार हैं यानी कि कुल दावेदारों में से 2/3 10 बीघा से कम भूमि के भूमिधारक हैं।

केवल **6%** दावेदार ऐसे हैं जिनके पास **20 बीघा से अधिक मल्कियत जमीन** है

---

5 से कम बीघा मल्कियत जमीन वाले लोग वस्तुतः **जमीन की उतनी ही भूमि क्षेत्रीय का दावा कर रहे हैं जितने के वे पहले से ही मालिक हैं,** ये इंगित करता है कि कब्जे वाले भूमि पर लोगों की **निर्भरता कितनी महत्वपूर्ण और नाजुक है**

3. क्या ये अधिनियम हाशिए वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जाति के लिए लाभदायी है?

वर्ग	कुल दावे	दावा किया गया भूमि का आकार	कुल मल्कियत भूमि	दावा किया गया भूमि का औसत आकार	मल्कियत भूमि का औसत आकार	मल्कियत भूमि + दावा किया गया भूमि	औसत
अनु.जनजाति	285	718.35	2894.87	2.52	10.15	3613.22	12.68
अनु. जाति	132	367.42	801.2	2.78	6.07	1168.62	8.85
कुल	417	1085.77	3696.07	2.6	8.86	4781.84	11.47

अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा किये गए दावों में आ रही भूमि का औसतन क्षेत्रफल अनुसूचित जनजाति समुदाय के दावों की तुलना में **आंशिक रूप से अधिक है**। अनुसूचित जाति के दावों का अनुपात उनके आबादी के कुल जनसँख्या में अनुपात के मुकाबले **8% अधिक है**

यदि अनुसूचित जाति के सभी **417 दावेदारों** के दावों को मंजूरी मिल जाती है तो उनकी औसत मल्कियत भूमि का क्षेत्रफल **8.86 बीघा से बढ़कर 11.47 बीघा** हो जायेगा

हाल में, अनुसूचित जनजाति समुदाय के पास अनुसूचित जाति समुदाय की तुलना में लगभग **67%** अधिक औसतन भूमिक्षेत्र है

यह अधिनियम, यदि उचित और निष्पक्ष तरीके से लागू किया गया, तो यह **भूमि धारकों के बीच की असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है**

संस्तुतियां

हमारे अध्ययन से पता चलता है कि वन अधिकार कमेटियों ने अधिनियम के तहत, दोनों व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, के दावों को जमा किया है जो वर्तमान में अलग–अलग स्तरों पर अटके पड़े हैं।

1. प्रशासन को उपखण्ड स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समितियों में लंबित दावों को संबोधित करना चाहिए व उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा जारी किये 30.08.16 आदेश के अनुरूप, जो वन अधिकार अधिनियम , 2006 की धारा 6 के तहत मामलों को तेज करती है, का पालन करना चाहिए

2. उपखण्ड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के सदस्यों, सभी संबंधित विभाग के आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्यों और वन अधिकार कमेटी के सदस्यों के लिए गहन प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए

3. समयबद्ध रूप से अधिकार धारकों के अधिकार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है ताकि धारकों को अनावश्यक रूप से बेदखल नहीं किया जाए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 चूंकि अन्य सभी कानून से ऊपर है, वन भूमि पर निर्भर और आश्रित कब्जों को 'हिमाचल प्रदेश पब्लिक परिसर और अतिक्रमण के तहत अतिक्रमण भूमि (उत्खनन और किराया रिकवरी) अधिनियम, 1971' अवैध कब्जाधारी नहीं माना जा सकता है, जबतक दावों की मान्यता और उल्लेखित सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।